न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या : 2223/2022
सरकार बनाम सोनू आदि।

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०

नाम- सोनू पिता का नाम- ननुआ उम्र- 35 वर्ष
पेशा- मजदूरी निवासी- मीरपुर थाना- खुर्जा नगर
जिला- बुलन्दशहर।

प्रश्न सं० 1- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी श्योराज सिंह की ममेरी बहन मृतका साखी का विवाह अप्रैल 2020 में आप अभियुक्त सोनू, निवासी-ग्राम मीरपुर अन्तर्गत थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद से ही आप पति सोनू व सास श्रीमती मुन्नी ने अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रूपये की माँग करते हुए मृतका साखी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- अभियुक्त सोनू की शादी साखी के साथ होना स्वीकार है तथा मेरे द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका के मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कथन गलत है।

प्रश्न सं० 2- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 06.11.2021 को समय सुबह 08:00 बजे से पूर्व आप अभियुक्तगण का निवास स्थान ग्राम मीरपुर अन्तर्गत थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में आपने अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने पर विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में मृतका साखी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा मृतका साखी का गला घोंटकर हत्या कारित की गयी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- गलत है।

प्रश्न सं० 3- यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 1 श्योराज सिंह के बयान सुने, जिसमें उसने बताया है कि मेरी ममेरी बहन साखी का विवाह वर्ष 2020 में सोनू पुत्र ननुआ के साथ दान दहेज के साथ शादी की थी। साखी का पति सोनू शादी के समय गुड़गाँव किसी कम्पनी में काम करता था। साखी की सास का नाम मुन्नी देवी है। जेठ के नाम याद नहीं है। शादी के बाद सोनू के यहाँ लड़की को लाने ले जाने के लिए दो चार बार हम गये थे। मेरी ममेरी बहन साखी मरने से चार पाँच महीने पहले गुड़गाँव सोनू के पास चली गई थी और वही पर रहती थी। दीपावली के त्योहार पर मेरी बहन साखी गाँव मीरपुर अपने पति के साथ अपनी ससुराल अपनी सास-ससुर के पास आयी थी। दिनांक 06.11. 2021 को सुबह आठ बजे मेरे भाई दीपक के पास मेरी दूसरी बहन ममेरी निक्की जो कि मीरपुर में ब्याही है, का फोन आया और रोते हुए कहा कि साखी की मृत्यु हो गयी है। मैं अपने रिश्तेदार जिसमें दीपक व मेरी ममेरी बहन निक्की व उसके पति जयप्रकाश के साथ साखी के ससुराल घर पहुँचे नौ बजे के करीब तो साखी के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और साखी मृत अवस्था में पडी थी, जिसके संबंध में मैने एक प्रार्थना पत्र टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर करके दिनांक 06.11.2021 को थाना कोतवाली नगर खुर्जा पर दिया था। प्रार्थना पत्र 4A/4 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की और बताया कि यह वही प्रार्थना पत्र जो मैने थाने पर जाकर दिया था और अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरी बहन साखी के ससुरालीजन पति सोनू, सास मुन्नी देवी, जेठ राजू व जिठानी कमलेश के द्वारा मेरी बहन साखी को परेशान करने व अतिरिक्त दहेज की माँग मैने कभी नहीं सुनी। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर साक्षी पी०डब्लू० 1 श्यौराज सिंह ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन गवाह पी०डब्लू० 1 ने थाना हाजा पर तहरीर गलत दी थी।

प्रश्न सं० 4- यह कि आपने पी०डब्लू० 2 एच.एम. 689 मनवीर सिंह के बयान सुने, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.11.2021 को मैं बतौर एच.एम. थाना खुर्जा नगर में तैनात था। उस दिन इस मुकदमे का वादी श्योराज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह एक कम्प्यूट्रीकृत तहरीर लेकर थाने आया था। इस तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मु०अ०सं० 1199/2021 अन्तर्गत धारा 498A, 323, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभियुक्त सोनू आदि के खिलाफ पंजीकृत किया था। यह मुकदमा मेरे द्वारा शब्द व शब्द बोल–बोलकर तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4A/1 लगायत 4A/3 जो कि चिक एफ०आई०आर० के रूप में है, को देखकर कहा कि यह चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा पंजीकृत की गयी थी, इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा उसी दिन दिनांक 06.11.2021 को समय 16:28 बजे जी.डी. संख्या 44 पर किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 6A/1 जो कि कम्प्यूट्रीकृत जी.डी. के रूप में है, को देखकर कहा कि इसी जी.डी. पर मेरे द्वारा इस मुकदमे का खुलासा किया था। आज मैं इसे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस मुकदमे के विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 5 यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 3 दीपक के बयान सुने। जिसने बताया कि मेरी बहन साखी उर्फ राखी की शादी सोनू पुत्र ननुआ निवासी मीरपुर के साथ माह जून 2020 में हुयी थी। जब मेरी बहन साखी उर्फ राखी की मृत्यु हुयी थी तब वह अपनी ससुराल मीरपुर में आ गयी थी। मेरी बहन राखी की मृत्यु छः तारीख, कार्तिक महीना के सन् 2021 में हुयी थी। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गवाह पी०डब्लू० 3 दीपक ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 6– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश के बयान सुने। जिसने बताया है कि साखी मेरी साली थी। साखी उर्फ राखी की शादी 30.06.2020 को इस मुकदमे के अभियुक्त सोनू के साथ मेरे ही गांव मीरपुर में हुयी थी। साखी की हत्या/मृत्यु दिनांक 06.11.2021 को हुयी थी। साखी की मृत्यु के बारे में हमको मुहल्ले वालों से पता चला था। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गवाह पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 7– यह कि आपने साक्षिया पी०डब्लू० 5 किन्ना देवी के बयान सुने। जिसने बताया है कि राखी उर्फ साखी की शादी करीब तीन साल पहले सोनू के साथ मीरपुर में हुयी थी। दीपावली के त्योहार पर मेरी बहन अपनी ससुराल मीरपुर में आयी थी। जब हम ग्राम मीरपुर में अपनी बहन के घर पर पहुंचे थे तब वह घर पर बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। यह बात करीब दो साल पहले की दीपावली के टाइम की है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गवाह पी०डब्लू० 5 किन्ना देवी ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 8- यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 6 शिवौतार सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 06.11.2021 को बतौर तहसीलदार खुर्जा के रूप में तैनात था। उस दिन मुझे एस.डी.एम. महोदय खुर्जा द्वारा मृतका श्रीमती साखी के फाँसी लगाकर मरने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर व उपजिलाधिकारी के निर्देश पर मैं ग्राम मीरपुर घटनास्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उपनिरीक्षक विनयकान्त गौतम मय अपने सभी हमराही के पंचायतनामा संबंधी

कागजात लेकर कन्ट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पहुँचे थे। मौके पर मृतका के परिजन काफी संख्या में मौजूद थे और वहाँ पर विलाप कर रहे थे। मृतका का शव घर के अन्दर कमरे में बेड पर चित्त अवस्था में रखा था। मौजूद परिजनों को सांत्वना देकर मेरे द्वारा यह पंचायतनामे की कार्यवाही एस.आई. विनयकान्त गौतम द्वारा आरम्भ करायी गयी। मौके पर ही मौजूद लोगों में से पंचान नियुक्त किये गये। मृतका साखी का सिर उत्तर की तरफ था और पैर दक्षिण की तरफ थे और दोनो हाथ बाजू में थे। मृतका का मुँह ऊपर की तरफ था। शव के हुलिया का विवरण मेरे द्वारा पंचायतनामे में अंकित कराया गया था। मृतका साखी ने फौजी कलर के सूट पहन रखे थे। महिला होमगार्ड से जाँच करायी गयी, ब्लैक अन्डर गारमेन्ट व सफेद बनियान पहने थी। मृतका के गले पर V शेप में चोंट का निशान था। मेरे द्वारा मौके पर उपस्थित पंचान से राय ली गई तो पंचान ने मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराने की राय लिखित में दी थी और अपनी राय देने के पश्चात् उस राय के नीचे अपने हस्ताक्षर भी किये थे। मैने अपनी राय भी पंचायतनामे में अंकित की। मेरी राय व पंचों की राय आपस में मेल खाती थी। शव को मौके पर ही एक चादर में सील सर्वे मोहर कराकर कां० नीतेश कुमार, होमगार्ड प्रमोद राघव व महिला होमगार्ड रचना को मय संबंधित कागजात यह निर्देश देते हुए कि पोस्टमार्टम कराकर उसकी रिपोर्ट से अवगत कराये सुपुर्द कर दिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 9– यह कि पी०डब्लू० 6 द्वारा अपने कथन में यह भी कहा गया है कि साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/2 ता 9A/3 जो कि पंचायतनामे के रूप में है, को देखकर कहा कि यही पंचायतनामा मेरे द्वारा एस.आई. विनयकान्त गौतम से मौके पर बोल–बोलकर तैयार कराया गया था और एस.आई. विनयकान्त गौतम ने अपने हस्तलेख में तैयार किया था। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 9A/5 जो कि चिट्ठी सी.एम.ओ. के रूप में है, को देखकर कहा कि यही चिट्ठी मेरे द्वारा एस.आई. विनयकान्त गौतम से बोल–बोलकर उनके हस्तलेख में तैयार करायी गयी थी। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/6 लगायत 9A/7 जो कि पुलिस फार्म संख्या 13 के रूप में है, को देखकर कहा कि यह मेरे द्वारा मौके पर एस.आई. विनयकान्त गौतम से बोल–बोलकर तैयार कराया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/8 जो कि फोटोनाश के रूप में है, को देखकर कहा कि यह मेरे द्वारा एस.आई. विनयकान्त गौतम से बोल–बोलकर तैयार कराया गया था। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 9A/9 जो कि नमूना मोहर के रूप में है, को देखकर कहा कि यह भी मेरे द्वारा बोल–बोलकर एस.आई. विनयकान्त गौतम से तैयार करायी गयी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 10- यह कि आपने पी०डब्लू० 7 डॉक्टर चन्द्रप्रकाश के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 06.11.2021 को बी.बी.डी. बुलन्दशहर के पी.एम. हाउस पर तैनात था। उस दिन थाना खुर्जा नगर से कां० नीतेश कुमार, होमगार्ड प्रमोद राघव, महिला होमगार्ड रचना, मृतक साखी पत्नी सोनू के शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु पी.एम. हाउस पर लेकर आये थे। मेरे द्वारा शव को उसी दिन 04:00 PM पर प्राप्त किया गया था। मेरे द्वारा शव का PM दिनांक 06.11.2021 को 05:50 PM पर आरम्भ किया गया था और उसी दिन 07.00 PM पर समाप्त किया गया। शव की पहचान/शिनाख्त साथ आये पुलिसपार्टी द्वारा की गई थी। शव की ऊँचाई लगभग 5 फिट के आसपास थी। शव के शरीर पर दो कानों में बाली चार पीली, एक नाक की बाली पीली धातु, सफेद चूड़ी के पीस, कलावा, एक सफेद अँगूठी, एक बालों का क्लेचर था। शव का शरीर

मध्यम औसत काठी का था। पूरे शरीर पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद था। शव की आँख व मुँह बन्द था। प्राकृतिक द्वार को देखा नहीं गया। शव के शरीर पर निम्न एन्टीमार्टम इन्जरी थी। चोंट नं० 1–गर्दन पर एक लाइगेचर मार्क जिसका साइज 28 cm X 2.00 cm था जो गर्दन के चारो तरफ गर्दन के पीछे 6 Cm गैप छोड़कर था। 6 Cm गैप बांये कान से 2 cm नीचे और दांये कान से 6 cm नीचे और ठोढी से 5 cm नीचे था। मृतका की गर्दन पर ग्लेसपिंग मार्क (दबे का निशान) मौजूद थे। गर्दन की Hyoid Bone intact थी। मेरे द्वारा एन्टीमार्टम इंजरी को पी.एम. में बने डायग्राम में दर्शाया गया है। आन्तरिक परीक्षण में फेफड़े कन्जेस्टेड थे और हृदय का दाहिना चैम्बर भरा था और बांया चैम्बर खाली था। आमाशय में 50 Ml तरल पदार्थ मौजूद था। लीवर आधा कन्जेस्टेड था व गुर्दे भी कन्जेस्टेड थे। मृतका के पेट में कोई बच्चा नहीं था। मृतका की मृत्यु का समय पी.एम. करने से पूर्व दिन का 1/3 भाग के बराबर था। मृत्यु का कारण दम घुटना था और मृत्यु की वजह एन्टीमार्टम हैंगिंग थी और सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी और ये चोटें (AMI) मृत्यु होने के लिए पर्याप्त थी।

उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 11– कि आपने पी०डब्लू० 7 द्वारा यह भी बताया गया कि मेरे द्वारा सभी अन्वेषण प्रपत्र, वस्तु, शव व एक SD Card 32 GB तीन सीलबन्द लिफाफे के साथ आये पुलिस कां० नीतेश शर्मा को सुपुर्द कर दिये गये थे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूर्ण करने के बाद इस पर द्वितीय राय देने वाले डॉक्टर हसन नदीम खान ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 10A1 ता 10A/3 जो कि पी.एम. रिपोर्ट संख्या 968/2021 मृतका साखी के रूप में है, को देखकर कहा कि यही पी.एम. रिपोर्ट मेरे द्वारा पी.एम. करते वक्त तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। यह मेरे हस्तलेख में हैं। इस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 12- यह कि आपने पी०डब्लू० 8 क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.11.2021 को मैं पुलिस क्षेत्राधिकारी खुर्जा के रूप में तैनात था। मेरे द्वारा थाना खुर्जा नगर में पंजीकृत मु०अ०सं० 11/2021 की विवेचना ग्रहण कर अवलोकन पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उसका विवरण सी.डी. में अंकित किया गया। इससे पूर्व इस अभियोग की विवेचना लिंक क्षेत्राधिकारी शिकारपुर द्वारा सम्पादित की गई थी। मेरे द्वारा पूर्व केस डायरी पूर्व किता का अवलोकन किया गया था। दिनांक 18.11.2021 को गवाहान दीपक, जयप्रकाश व किन्नी देवी मेरे कार्यालय पर आये और साखी का शादी का कार्ड दिखाते हुए बताया कि हम साखी को घर में राखी कहकर भी बुलाते हैं। उसी दिन मेरे द्वारा बयान गवाहान दीपक, जयप्रकाश, निक्की उर्फ किन्नी देवी के सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 22.11.2021 को अभियुक्त सोनू व मुन्नी का रिमान्ड माननीय न्यायालय से 14 दिवस का स्वीकृत कराया गया। दिनांक 24.11. 2021 को बयान गवाह, पंचान गवाहान प्रेमचन्द, चन्द्रपाल, नीटू उर्फ चन्द्रशेखर, तेजपाल के सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 29.11.2021 को थाना खुर्जा नगर पहुँचकर एस.आई. विनयकान्त गौतम, कां० नीतेश शर्मा व होमगार्ड प्रमोद राघव व महिला होमगार्ड रचना के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 30.11.2021 को पंचायतनामा की कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट शिवअवतार सिंह, तहसीलदार खुर्जा के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 20.12.2021 को अभियुक्त सोनू व मुन्नी का चौदह दिवसीय रिमाण्ड माननीय न्यायालय में स्वीकृत कराया गया। दिनांक 21.12.2021 को कार्यालय डाक पैड से प्राप्त शपथपत्रों का अवलोकन कर उनकी नकल सी.डी. में अंकित की गई। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– विवेचक पी०डब्लू० 8 द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना गलत की है।

प्रश्न सं० 13– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपने बयानों में यह भी कहा गया है कि दिनांक 22.12.2021 को वादी मुकदमा श्योराज सिंह मेरे कार्यालय में उपस्थित आया और शादी के सामान की सूची उपलब्ध करायी, जिसका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया तथा पंचान के रूप में श्यौराज सिंह का बयान सी.डी. में अंकित किया गया। उसी दिन मेरे द्वारा पुलिस लाइन बुलन्दशहर जाकर मृतका साखी उर्फ राखी के शव की वीडियोग्राफी करने वाले कां० अंकुर चौधरी का बयान सी.डी. में अंकित किया तथा उसी दिन बी.बी.डी. अस्पताल बुलन्दशहर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चन्द्रप्रकाश व सी.एच.सी. शिकारपुर पहुँचकर डॉक्टर हसन नदीम खान के बयान सी.डी. में अंकित किये गये। दिनांक 24.12.2021 को शपथपत्र देने वाले शपथकर्ता मेरे कार्यालय खुर्जा पर उपस्थित आये और मेरे द्वारा बयान शपथकर्ता ननुआ, कुंवरपाल, नानकचन्द्र, रामरतन, गजराज सिंह के बयान सी.डी. में अंकित किये।। दिनांक 28.12.2021 को बयान गवाह सुदेश, नरेश कुमार, राजकुमार गौतम, कमल सिंह, श्रीमती ललिता के सी.डी. में अंकित किये गये व उसी दिन मैने अभियुक्त राजू के बच्चों के स्कूल प्रमाण पत्र व किराया, इकरारनामा उनका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 30.12.2021 को ग्राम मीरपुर पहुँचकर स्वतंत्र गवाह श्रीमती बत्तो देवी, मुकेश, भूरा सिंह, रानी के बयान सी.डी. में अंकित किये। अब तक की विवेचना में प्राप्त शपथपत्र बयान शपथकर्ता, बयान गवाहान व स्वतंत्र गवाहान आदि के आधार पर अभियुक्त राजू व कमलेश की नामजदगी गलत पायी गयी, जिनके नाम विवेचना से पृथक किये गये व दिनांक 02.01.2022 को नामित राजू व कमलेश के बयान सी.डी. में अंकित किये गये व अब तक की विवेचना में बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सोनू व मुन्नी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A, 323, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 02/2022 दिनांक 02.01.2022 को प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 3A/1 लगायत 3A/8 जो कि मु०अ०सं० 1199/2021 के आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– विवेचक पी०डब्लू० 8 द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना गलत की है।

प्रश्न सं० 14- यह कि आपने पी०डब्लू० 9 क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं नवंबर 2021 में क्षेत्राधिकारी शिकारपुर नियुक्त था। दिनांक 06.11.2021 में जिस समय उक्त अभियोग पंजीकृत हुआ, क्षेत्राधिकारी खुर्जा उपलब्ध नहीं थे तो उनका लिंक अधिकारी होने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना मेरे द्वारा गृहण कर प्रारम्भ की गयी थी। दिनांक 07.11.2021 को मेरे द्वारा सी.डी.–1 किता की गई, जिसमें नकल चिक, नकल रपट अंकन करते हुए एफ०आई०आर० लेखक हेड मोहर्रिर मनवीर सिंह के बयान अंकित किये गये। थाने पर मौजूद वादी मुकदमा श्योराज सिंह के बयान अंकित किये गये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार की गई। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7A/1 जो कि नक्शा नजरी मु०अ०सं० 1199/2021 अन्तर्गत धारा 498A, 323, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा नगर के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर अपने हस्तलेख में तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 08.11.2021 को थाना खुर्जा नगर में अभियुक्त सोनू व श्रीमती मुन्नी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर थाना खुर्जा नगर जाकर गिरफ्तारी प्रपत्रों का अंकन व अवलोकन करते हुए अभियुक्तगण के बयान लिये गये तथा रिमाण्ड संबंधी अनुरोध पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। उक्त कार्यवाही करते हुए सी.डी.–2 किता की गई। अभियोग में अग्रेतर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खुर्जा द्वारा की गई है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– विवेचक पी०डब्लू० 9 द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना गलत की है।

प्रश्न सं० 15- यह कि आपने पी०डब्लू० 10 उपनिरीक्षक विनयकान्त गौतम के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.11.2021 को मैं थाना खुर्जा नगर पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन जरिए थाना की सूचना पर कि ग्राम मीरपुर में एक महिला के मरने की सूचना है। उसमें मैं मय जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात व कां० नीतेश शर्मा, होमगार्ड प्रमोद व महिला होमगार्ड रचना के साथ ग्राम मीरपुर में मौके पर पहुँचा तो मृतका साखी का शव एक बेड पर रखा था। मृतका के मरने की सूचना मजिस्ट्रेट साहब को दी गई थी। क्योंकि मृतका की शादी को करीब डेढ वर्ष हुआ था। मौके पर मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) साहब भी आ गये थे। उनके द्वारा शर्म हया का ध्यान रखते हुए उनके द्वारा महिला होमगार्ड के द्वारा शव का निरीक्षण कराया गया था व मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा बोले जाने पर पंचायतनामा की कार्यवाही पाँच पंच नियुक्त किये गये व पाँचों पंचों की राय पंचायतनामा पर अंकित करायी गयी व तहसीलदार साहब ने अपनी राय पंचायतनामा पर दर्ज की थी। पंचायतनामा पर तहसीलदार साहब ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे व मैने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। मृतका का शव सील सर्वे मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम हेतु कां० नीतेश व एच.जी. प्रमोद राघव व महिला कां० रचना को सुपुर्द किया था। गवाह ने पंचायतनामा पेपर 8A/2 व 8A/3 को देखकर बताया कि यह वही पंचायतनामा है जो मजिस्ट्रेट महोदय के बोले जाने पर मेरे द्वारा लिखा गया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पंचायतनामा पर पूर्व में प्रदर्श क–4 डाला जा चुका है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत बयान दिये है।

प्रश्न सं० 16– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 11 भूरा सिंह के बयान सुने। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 17– आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला तथा वादी ने आपके विरूद्व अभियोग क्यों पंजीकृत कराया ?

उत्तर– रंजिशन।

प्रश्न सं० 18– क्या आप प्रतिरक्षा साक्ष्य देना चाहते हैं ?

उत्तर– नहीं।

प्रश्न सं० 19– क्या आपको घटना के संबंध में कुछ और कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना है।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 23.05.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Steno Mohd Afsan

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या : 2223/2022
सरकार बनाम सोनू आदि।

<u>बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

नाम- मुन्नी देवी पति का नाम- ननुआ उम्र- 60 वर्ष
पेशा- मजदूरी निवासी- मीरपुर थाना- खुर्जा नगर
जिला- बुलन्दशहर।

प्रश्न सं० 1- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी श्योराज सिंह की ममेरी बहन मृतका साखी का विवाह अप्रैल 2020 में आप अभियुक्त सोनू, निवासी-ग्राम मीरपुर अन्तर्गत थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद से ही आप पति सोनू व सास श्रीमती मुन्नी ने अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रूपये की माँग करते हुए मृतका साखी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- मेरे पुत्र सोनू की शादी मृतका साखी के साथ होना स्वीकार है तथा मैने व मेरे पुत्र सोनू द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका के मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कथन गलत है।

प्रश्न सं० 2- यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 06.11.2021 को समय सुबह 08:00 बजे से पूर्व आप अभियुक्तगण का निवास स्थान ग्राम मीरपुर अन्तर्गत थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में आपने अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने पर विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में मृतका साखी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा मृतका साखी का गला घोंटकर हत्या कारित की गयी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर- गलत है।

प्रश्न सं० 3- यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 1 श्योराज सिंह के बयान सुने, जिसमें उसने बताया है कि मेरी ममेरी बहन साखी का विवाह वर्ष 2020 में सोनू पुत्र ननुआ के साथ दान दहेज के साथ शादी की थी। साखी का पति सोनू शादी के समय गुड़गाँव किसी कम्पनी में काम करता था। साखी की सास का नाम मुन्नी देवी है। जेठ के नाम याद नहीं है। शादी के बाद सोनू के यहाँ लड़की को लाने ले जाने के लिए दो चार बार हम गये थे। मेरी ममेरी बहन साखी मरने से चार पाँच महीने पहले गुड़गाँव सोनू के पास चली गई थी और वही पर रहती थी। दीपावली के त्योहार पर मेरी बहन साखी गाँव मीरपुर अपने पति के साथ अपनी ससुराल अपनी सास-ससुर के पास आयी थी। दिनांक 06.11. 2021 को सुबह आठ बजे मेरे भाई दीपक के पास मेरी दूसरी बहन ममेरी निक्की जो कि मीरपुर में ब्याही है, का फोन आया और रोते हुए कहा कि साखी की मृत्यु हो गयी है। मैं अपने रिश्तेदार जिसमें दीपक व मेरी ममेरी बहन निक्की व उसके पति जयप्रकाश के साथ साखी के ससुराल घर पहुँचे नौ बजे के करीब तो साखी के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और साखी मृत अवस्था में पडी थी, जिसके संबंध में मैने एक प्रार्थना पत्र टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर करके दिनांक 06.11.2021 को थाना कोतवाली नगर खुर्जा पर दिया था। प्रार्थना पत्र 4A/4 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की और बताया कि यह वही प्रार्थना पत्र जो मैने थाने पर जाकर दिया था और अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरी बहन साखी के ससुरालीजन पति सोनू, सास मुन्नी देवी, जेठ राजू व जिठानी कमलेश के द्वारा मेरी बहन साखी को परेशान करने व अतिरिक्त दहेज की माँग मैने कभी नहीं सुनी। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर साक्षी पी०डब्लू० 1 श्यौराज सिंह ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन गवाह पी०डब्लू० 1 ने थाना हाजा पर तहरीर गलत दी थी।

प्रश्न सं० 4- यह कि आपने पी०डब्लू० 2 एच.एम. 689 मनवीर सिंह के बयान सुने, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.11.2021 को मैं बतौर एच.एम. थाना खुर्जा नगर में तैनात था। उस दिन इस मुकदमे का वादी श्योराज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह एक कम्प्यूट्रीकृत तहरीर लेकर थाने आया था। इस तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मु०अ०सं० 1199/2021 अन्तर्गत धारा 498A, 323, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभियुक्त सोनू आदि के खिलाफ पंजीकृत किया था। यह मुकदमा मेरे द्वारा शब्द व शब्द बोल–बोलकर तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4A/1 लगायत 4A/3 जो कि चिक एफ०आई०आर० के रूप में है, को देखकर कहा कि यह चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा पंजीकृत की गयी थी, इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा उसी दिन दिनांक 06.11.2021 को समय 16:28 बजे जी.डी. संख्या 44 पर किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 6A/1 जो कि कम्प्यूट्रीकृत जी.डी. के रूप में है, को देखकर कहा कि इसी जी.डी. पर मेरे द्वारा इस मुकदमे का खुलासा किया था। आज मैं इसे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस मुकदमे के विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 5 यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 3 दीपक के बयान सुने। जिसने बताया कि मेरी बहन साखी उर्फ राखी की शादी सोनू पुत्र ननुआ निवासी मीरपुर के साथ माह जून 2020 में हुयी थी। जब मेरी बहन साखी उर्फ राखी की मृत्यु हुयी थी तब वह अपनी ससुराल मीरपुर में आ गयी थी। मेरी बहन राखी की मृत्यु छः तारीख, कार्तिक महीना के सन् 2021 में हुयी थी। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गवाह पी०डब्लू० 3 दीपक ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 6– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश के बयान सुने। जिसने बताया है कि साखी मेरी साली थी। साखी उर्फ राखी की शादी 30.06.2020 को इस मुकदमे के अभियुक्त सोनू के साथ मेरे ही गांव मीरपुर में हुयी थी। साखी की हत्या/मृत्यु दिनांक 06.11.2021 को हुयी थी। साखी की मृत्यु के बारे में हमको मुहल्ले वालों से पता चला था। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गवाह पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 7– यह कि आपने साक्षिया पी०डब्लू० 5 किन्ना देवी के बयान सुने। जिसने बताया है कि राखी उर्फ साखी की शादी करीब तीन साल पहले सोनू के साथ मीरपुर में हुयी थी। दीपावली के त्योहार पर मेरी बहन अपनी ससुराल मीरपुर में आयी थी। जब हम ग्राम मीरपुर में अपनी बहन के घर पर पहुंचे थे तब वह घर पर बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। यह बात करीब दो साल पहले की दीपावली के टाइम की है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गवाह पी०डब्लू० 5 किन्ना देवी ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 8- यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 6 शिवौतार सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 06.11.2021 को बतौर तहसीलदार खुर्जा के रूप में तैनात था। उस

दिन मुझे एस.डी.एम. महोदय खुर्जा द्वारा मृतका श्रीमती साखी के फाँसी लगाकर मरने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर व उपजिलाधिकारी के निर्देश पर मैं ग्राम मीरपुर घटनास्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उपनिरीक्षक विनयकान्त गौतम मय अपने सभी हमराही के पंचायतनामा संबंधी कागजात लेकर कन्ट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पहुँचे थे। मौके पर मृतका के परिजन काफी संख्या में मौजूद थे और वहाँ पर विलाप कर रहे थे। मृतका का शव घर के अन्दर कमरे में बेड पर चित्त अवस्था में रखा था। मौजूद परिजनों को सांत्वना देकर मेरे द्वारा यह पंचायतनामे की कार्यवाही एस.आई. विनयकान्त गौतम द्वारा आरम्भ करायी गयी। मौके पर ही मौजूद लोगों में से पंचान नियुक्त किये गये। मृतका साखी का सिर उत्तर की तरफ था और पैर दक्षिण की तरफ थे और दोनो हाथ बाजू में थे। मृतका का मुँह ऊपर की तरफ था। शव के हुलिया का विवरण मेरे द्वारा पंचायतनामे में अंकित कराया गया था। मृतका साखी ने फौजी कलर के सूट पहन रखे थे। महिला होमगार्ड से जाँच करायी गयी, ब्लैक अन्डर गारमेन्ट व सफेद बनियान पहने थी। मृतका के गले पर V शेप में चोंट का निशान था। मेरे द्वारा मौके पर उपस्थित पंचान से राय ली गई तो पंचान ने मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराने की राय लिखित में दी थी और अपनी राय देने के पश्चात् उस राय के नीचे अपने हस्ताक्षर भी किये थे। मैने अपनी राय भी पंचायतनामे में अंकित की। मेरी राय व पंचों की राय आपस में मेल खाती थी। शव को मौके पर ही एक चादर में सील सर्वे मोहर कराकर कां० नीतेश कुमार, होमगार्ड प्रमोद राघव व महिला होमगार्ड रचना को मय संबंधित कागजात यह निर्देश देते हुए कि पोस्टमार्टम कराकर उसकी रिपोर्ट से अवगत कराये सुपुर्द कर दिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 9– यह कि पी०डब्लू० 6 द्वारा अपने कथन में यह भी कहा गया है कि साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/2 ता 9A/3 जो कि पंचायतनामे के रूप में है, को देखकर कहा कि यही पंचायतनामा मेरे द्वारा एस.आई. विनयकान्त गौतम से मौके पर बोल–बोलकर तैयार कराया गया था और एस.आई. विनयकान्त गौतम ने अपने हस्तलेख में तैयार किया था। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 9A/5 जो कि चिट्ठी सी.एम.ओ. के रूप में है, को देखकर कहा कि यही चिट्ठी मेरे द्वारा एस.आई. विनयकान्त गौतम से बोल–बोलकर उनके हस्तलेख में तैयार करायी गयी थी। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/6 लगायत 9A/7 जो कि पुलिस फार्म संख्या 13 के रूप में है, को देखकर कहा कि यह मेरे द्वारा मौके पर एस.आई. विनयकान्त गौतम से बोल–बोलकर तैयार कराया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/8 जो कि फोटोनाश के रूप में है, को देखकर कहा कि यह मेरे द्वारा एस.आई. विनयकान्त गौतम से बोल–बोलकर तैयार कराया गया था। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 9A/9 जो कि नमूना मोहर के रूप में है, को देखकर कहा कि यह भी मेरे द्वारा बोल–बोलकर एस.आई. विनयकान्त गौतम से तैयार करायी गयी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 10- यह कि आपने पी०डब्लू० 7 डॉक्टर चन्द्रप्रकाश के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 06.11.2021 को बी.बी.डी. बुलन्दशहर के पी.एम. हाउस पर तैनात था। उस दिन थाना खुर्जा नगर से कां० नीतेश कुमार, होमगार्ड प्रमोद राघव, महिला होमगार्ड रचना, मृतक साखी पत्नी सोनू के शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु पी.एम. हाउस पर लेकर आये थे। मेरे द्वारा शव को उसी दिन 04:00 PM पर प्राप्त किया गया था। मेरे द्वारा शव का PM दिनांक 06.11.2021 को 05:50 PM पर आरम्भ किया गया था और उसी दिन 07.00 PM पर

समाप्त किया गया। शव की पहचान/शिनाख्त साथ आये पुलिसपार्टी द्वारा की गई थी। शव की ऊँचाई लगभग 5 फिट के आसपास थी। शव के शरीर पर दो कानों में बाली चार पीली, एक नाक की बाली पीली धातु, सफेद चूड़ी के पीस, कलावा, एक सफेद अँगूठी, एक बालों का क्रेचर था। शव का शरीर मध्यम औसत काठी का था। पूरे शरीर पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद था। शव की आँख व मुँह बन्द था। प्राकृतिक द्वार को देखा नहीं गया। शव के शरीर पर निम्न एन्टीमार्टम इन्जरी थी। चोंट नं० 1–गर्दन पर एक लाइगेचर मार्क जिसका साइज 28 cm X 2.00 cm था जो गर्दन के चारो तरफ गर्दन के पीछे 6 Cm गैप छोड़कर था। 6 Cm गैप बांये कान से 2 cm नीचे और दांये कान से 6 cm नीचे और ठोढी से 5 cm नीचे था। मृतका की गर्दन पर ग्लेसपिंग मार्क (दबे का निशान) मौजूद थे। गर्दन की Hyoid Bone intact थी। मेरे द्वारा एन्टीमार्टम इंजरी को पी.एम. में बने डायग्राम में दर्शाया गया है। आन्तरिक परीक्षण में फेफड़े कन्जेस्टेड थे और हृदय का दाहिना चैम्बर भरा था और बांया चैम्बर खाली था। आमाशय में 50 Ml तरल पदार्थ मौजूद था। लीवर आधा कन्जेस्टेड था व गुर्दे भी कन्जेस्टेड थे। मृतका के पेट में कोई बच्चा नहीं था। मृतका की मृत्यु का समय पी.एम. करने से पूर्व दिन का 1/3 भाग के बराबर था। मृत्यु का कारण दम घुटना था और मृत्यु की वजह एन्टीमार्टम हैंगिंग थी और सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी और ये चोटें (AMI) मृत्यु होने के लिए पर्याप्त थी।
उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 11– कि आपने पी०डब्लू० 7 द्वारा यह भी बताया गया कि मेरे द्वारा सभी अन्वेषण प्रपत्र, वस्तु, शव व एक SD Card 32 GB तीन सीलबन्द लिफाफे के साथ आये पुलिस कां० नीतेश शर्मा को सुपुर्द कर दिये गये थे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूर्ण करने के बाद इस पर द्वितीय राय देने वाले डॉक्टर हसन नदीम खान ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 10A1 ता 10A/3 जो कि पी.एम. रिपोर्ट संख्या 968/2021 मृतका साखी के रूप में है, को देखकर कहा कि यही पी.एम. रिपोर्ट मेरे द्वारा पी.एम. करते वक्त तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। यह मेरे हस्तलेख में हैं। इस पर **<u>प्रदर्श क–9</u>** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?
उत्तर– इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 12- यह कि आपने पी०डब्लू० 8 क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.11.2021 को मैं पुलिस क्षेत्राधिकारी खुर्जा के रूप में तैनात था। मेरे द्वारा थाना खुर्जा नगर में पंजीकृत मु०अ०सं० 11/2021 की विवेचना ग्रहण कर अवलोकन पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उसका विवरण सी.डी. में अंकित किया गया। इससे पूर्व इस अभियोग की विवेचना लिंक क्षेत्राधिकारी शिकारपुर द्वारा सम्पादित की गई थी। मेरे द्वारा पूर्व केस डायरी पूर्व किता का अवलोकन किया गया था। दिनांक 18.11.2021 को गवाहान दीपक, जयप्रकाश व किन्ना देवी मेरे कार्यालय पर आये और साखी का शादी का कार्ड दिखाते हुए बताया कि हम साखी को घर में राखी कहकर भी बुलाते हैं। उसी दिन मेरे द्वारा बयान गवाहान दीपक, जयप्रकाश, निक्की उर्फ किन्ना देवी के सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 22.11.2021 को अभियुक्त सोनू व मुन्नी का रिमान्ड माननीय न्यायालय से 14 दिवस का स्वीकृत कराया गया। दिनांक 24.11. 2021 को बयान गवाह, पंचान गवाहान प्रेमचन्द, चन्द्रपाल, नीटू उर्फ चन्द्रशेखर, तेजपाल के सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 29.11.2021 को थाना खुर्जा नगर पहुँचकर एस.आई. विनयकान्त गौतम, कां० नीतेश शर्मा व होमगार्ड प्रमोद राघव व महिला होमगार्ड रचना के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 30.11.2021 को पंचायतनामा की कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट शिवअवतार सिंह, तहसीलदार खुर्जा के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 20.12.2021 को अभियुक्त सोनू व मुन्नी का चौदह दिवसीय रिमाण्ड माननीय न्यायालय में स्वीकृत कराया गया। दिनांक 21.12.2021 को कार्यालय डाक पैड से प्राप्त शपथपत्रों का अवलोकन कर उनकी नकल सी.डी. में अंकित की गई। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– विवेचक पी०डब्लू० 8 द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना गलत की है।

प्रश्न सं० 13– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपने बयानों में यह भी कहा गया है कि दिनांक 22.12.2021 को वादी मुकदमा श्योराज सिंह मेरे कार्यालय में उपस्थित आया और शादी के सामान की सूची उपलब्ध करायी, जिसका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया तथा पंचान के रूप में श्यौराज सिंह का बयान सी.डी. में अंकित किया गया। उसी दिन मेरे द्वारा पुलिस लाइन बुलन्दशहर जाकर मृतका साखी उर्फ राखी के शव की वीडियोग्राफी करने वाले कां० अंकुर चौधरी का बयान सी.डी. में अंकित किया तथा उसी दिन बी.बी.डी. अस्पताल बुलन्दशहर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चन्द्रप्रकाश व सी.एच.सी. शिकारपुर पहुँचकर डॉक्टर हसन नदीम खान के बयान सी.डी. में अंकित किये गये। दिनांक 24.12.2021 को शपथपत्र देने वाले शपथकर्ता मेरे कार्यालय खुर्जा पर उपस्थित आये और मेरे द्वारा बयान शपथकर्ता ननुआ, कुंवरपाल, नानकचन्द्र, रामरतन, गजराज सिंह के बयान सी.डी. में अंकित किये।। दिनांक 28.12.2021 को बयान गवाह सुदेश, नरेश कुमार, राजकुमार गौतम, कमल सिंह, श्रीमती ललिता के सी.डी. में अंकित किये गये व उसी दिन मैने अभियुक्त राजू के बच्चों के स्कूल प्रमाण पत्र व किराया, इकरारनामा उनका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 30.12.2021 को ग्राम मीरपुर पहुँचकर स्वतंत्र गवाह श्रीमती बत्तो देवी, मुकेश, भूरा सिंह, रानी के बयान सी.डी. में अंकित किये। अब तक की विवेचना में प्राप्त शपथपत्र बयान शपथकर्ता, बयान गवाहान व स्वतंत्र गवाहान आदि के आधार पर अभियुक्त राजू व कमलेश की नामजदगी गलत पायी गयी, जिनके नाम विवेचना से पृथक किये गये व दिनांक 02.01.2022 को नामित राजू व कमलेश के बयान सी.डी. में अंकित किये गये व अब तक की विवेचना में बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सोनू व मुन्नी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A, 323, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 02/2022 दिनांक 02.01.2022 को प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 3A/1 लगायत 3A/8 जो कि मु०अ०सं० 1199/2021 के आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– विवेचक पी०डब्लू० 8 द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना गलत की है।

प्रश्न सं० 14- यह कि आपने पी०डब्लू० 9 क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं नवंबर 2021 में क्षेत्राधिकारी शिकारपुर नियुक्त था। दिनांक 06.11.2021 में जिस समय उक्त अभियोग पंजीकृत हुआ, क्षेत्राधिकारी खुर्जा उपलब्ध नहीं थे तो उनका लिंक अधिकारी होने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना मेरे द्वारा गृहण कर प्रारम्भ की गयी थी। दिनांक 07.11.2021 को मेरे द्वारा सी.डी.–1 किता की गई, जिसमें नकल चिक, नकल रपट अंकन करते हुए एफ०आई०आर० लेखक हेड मोहर्रिर मनवीर सिंह के बयान अंकित किये गये। थाने पर मौजूद वादी मुकदमा श्योराज सिंह के बयान अंकित किये गये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार की गई। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7A/1 जो कि नक्शा नजरी मु०अ०सं० 1199/2021 अन्तर्गत धारा 498A, 323, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा नगर के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर अपने हस्तलेख में तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 08.11.2021 को थाना खुर्जा नगर में अभियुक्त सोनू व श्रीमती मुन्नी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर थाना खुर्जा नगर जाकर गिरफ्तारी प्रपत्रों का अंकन व अवलोकन करते हुए अभियुक्तगण के बयान लिये गये तथा रिमाण्ड संबंधी अनुरोध पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। उक्त कार्यवाही करते हुए सी.डी.–2 किता की गई। अभियोग में अग्रेतर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खुर्जा द्वारा की गई है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– विवेचक पी०डब्लू० 9 द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना गलत की है।

प्रश्न सं० 15- यह कि आपने पी०डब्लू० 10 उपनिरीक्षक विनयकान्त गौतम के बयान सुने, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.11.2021 को मैं थाना खुर्जा नगर पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन जरिए थाना की सूचना पर कि ग्राम मीरपुर में एक महिला के मरने की सूचना है। उसमें मैं मय जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात व कां० नीतेश शर्मा, होमगार्ड प्रमोद व महिला होमगार्ड रचना के साथ ग्राम मीरपुर में मौके पर पहुँचा तो मृतका साखी का शव एक बेड पर रखा था। मृतका के मरने की सूचना मजिस्ट्रेट साहब को दी गई थी। क्योंकि मृतका की शादी को करीब डेढ वर्ष हुआ था। मौके पर मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) साहब भी आ गये थे। उनके द्वारा शर्म हया का ध्यान रखते हुए उनके द्वारा महिला होमगार्ड के द्वारा शव का निरीक्षण कराया गया था व मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा बोले जाने पर पंचायतनामा की कार्यवाही पाँच पंच नियुक्त किये गये व पाँचों पंचों की राय पंचायतनामा पर अंकित करायी गयी व तहसीलदार साहब ने अपनी राय पंचायतनामा पर दर्ज की थी। पंचायतनामा पर तहसीलदार साहब ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे व मैने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। मृतका का शव सील सर्वे मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम हेतु कां० नीतेश व एच.जी. प्रमोद राघव व महिला कां० रचना को सुपुर्द किया था। गवाह ने पंचायतनामा पेपर 8A/2 व 8A/3 को देखकर बताया कि यह वही पंचायतनामा है जो मजिस्ट्रेट महोदय के बोले जाने पर मेरे द्वारा लिखा गया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पंचायतनामा पर पूर्व में प्रदर्श क–4 डाला जा चुका है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत बयान दिये है।

प्रश्न सं० 16– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 11 भूरा सिंह के बयान सुने। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न सं० 17– आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला तथा वादी ने आपके विरूद्व अभियोग क्यों पंजीकृत कराया ?

उत्तर– रंजिशन।

प्रश्न सं० 18– क्या आप प्रतिरक्षा साक्ष्य देना चाहते हैं ?

उत्तर– नहीं।

प्रश्न सं० 19– क्या आपको घटना के संबंध में कुछ और कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना है।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 23.05.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Steno Mohd Afsan

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.05.23 17:37:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court